पायलट सामाजिक अंकेक्षण

- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का सामाजिक अंकेक्षण
- दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का सामाजिक अंकेक्षण
- प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना का सामाजिक अंकेक्षण
- अक्षर आँचल योजना का सामाजिक अंकेक्षण
- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) का सामाजिक अंकेक्षण

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का पायलट सामाजिक अंकेक्षण

समाज कल्याण विभाग के द्वारा संचालित राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत पेंशन योजनाओं का पटना जिला के फुलवारीशरीफ प्रखण्ड के सकरैचा पंचायत एवं जहानाबाद जिला के सदर प्रखण्ड के पंडुई पंचायत में वित्तीय वर्ष 2020-21 का पायलट सामाजिक अंकेक्षण किया गया। सामाजिक अंकेक्षण के दौरान पेंशन योजनाओं के लाभार्थी एवं उनके बैंक पासबुक, आधार कार्ड का सत्यापन किया गया है। इसके अतिरिक्त पेंशन योजनाओं से संबंधित लाभार्थी को लाईफ सर्टिफिकेट, राशि अंतरण का एसएमएस, व्यक्तिगत विवरण को अद्यतन करने आदि के बारे में जानकारी दी गई।

समाज कल्याण विभाग एवं सामाजिक अंकेक्षण सोसाईटी के संयुक्त कार्य योजना के अनुसार पेंशन योजनाओं का पटना एवं जहानाबाद जिला के दो प्रखण्डों के दो पंचायतों में सामाजिक अंकेक्षण किया गया।

क्र०	अंकेक्षित पेंशन योजनाएं	जिला	प्रखण्ड	पंचायत
1	इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	पटना एवं जहानाबाद	फुलवारी शरीफ एवं जहानाबाद सदर	सकरैचा एवं पंडुई
2	इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना			
3	इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना			
4	लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना			
5	बिहार निःशक्तता पेंशन योजना			

पेंशन योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण से प्राप्त तथ्य

- सत्यापित लाभार्थियों में से लगभग 90 प्रतिशत् लाभार्थियों के द्वारा DBT के माध्यम राशि प्राप्त होने की जानकारी दी गयी।
- लाभार्थी का व्यक्तिगत विवरण (पता, आयु, मोबाईल, बैंक खाता) अद्यतन नहीं पाया गया।
- मृत लाभार्थी को भी पेंशन राशि का भुगतान किया गया है।
- लाईफ सर्टिफिकेट निर्गत करने एवं पेंशन राशि की निकासी हेतु लाभार्थी से निर्धारित राशि से अतिरिक्त राशि लिए जाने की शिकायत मिली।
- बैंको का दूसरे बैंक में विलय हो जाने के उपरांत, लाभुकों का बैंक खाता अद्यतन नहीं करने के कारण लाभार्थी पेंशन योजना का लाभ नहीं ले पा रहे है।
- 80 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के लाभार्थियों का स्वतः अपग्रेडेशन नहीं होने के कारण अनुमान्य पेंशन की राशि का लाभ नहीं मिल रहा है।
- पात्र लाभार्थियों का नया आवेदन एवं स्वीकृति में विलम्ब का शिकायत पाया गया।

पेंशन योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण से प्राप्त तथ्यों को पंचायत स्तरीय ग्राम सभा -सह- जन सुनवाई में सामाजिक अंकेक्षण सोसाईटी द्वारा प्रस्तुत किया गया। जन सुनवाई में लिए गए निर्णय के अनुपालन हेतु प्रतिवेदन संबंधित विभाग को अनुवर्ति कार्रवाई हेतु समर्पित किया गया है।

दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का पायलट सामाजिक अंकेक्षण

दीनदयाल अंत्योदय योजना– राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत पटना, गया, मुजफ्फरपुर एवं भागलपुर के नगर निकाय में अवस्थित शहरी आश्रय विहीनों के आश्रय स्थल (Shelter for Urban Homeless 'SUH') का पायलट सामाजिक अंकेक्षण वित्तीय वर्ष 2021–22 में कराया गया है। पायलट सामाजिक अंकेक्षण में मुख्य रूप से निम्न तथ्य प्राप्त हुएः–

1. आश्रयस्थल का प्रचार–प्रसार का अभाव पाया गया।
2. आश्रयस्थल में कार्यरत व्यक्तियों का मोबाईल नं०/पदनाम का विवरण नहीं पाया गया।
3. सर्वे सूची एवं लाभुकों की सूची में भिन्नता पाया गया।
4. SUH में संधारित पंजी अद्यतन नहीं पाया गया।
5. शौचालय/स्नानघर/पानी की व्यवस्था एवं साफ–सफाई का अभाव पाया गया।
6. आश्रयस्थल में उपकरण का अधिष्ठापन एवं रख–रखाव का अभाव पाया गया।
7. कंवर्जेंस का अभाव पाया गया।
8. रैम्प का अभाव पाया गया।
9. कर्मियों में क्षमतावर्धन/प्रशिक्षण का अभाव पाया गया।
10. आश्रयस्थल पर समुचित सुरक्षा का अभाव पाया गया।

पायलट सामाजिक अंकेक्षण के उपरांत ग्राम सभा–सह–जन सुनवाई से प्राप्त तथ्यों/प्रतिवेदनों पर अपेक्षित कार्रवाई करते हुए ATR समर्पित किया गया है।

प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना का पायलट सामाजिक अंकेक्षण

वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति द्वारा संचालित पी०एम० पोषण शक्ति निर्माण योजना का पायलट सामाजिक अंकेक्षण अरवल जिला के कलेर प्रखंड के बेलसार पंचायत में अवस्थित 9 प्राथमिक विद्यालय एवं 2 मध्य विद्यालय, कुल 11 विद्यालयों में कराया गया है।

पायलट सामाजिक अंकेक्षण में मुख्य रूप से निम्न तथ्य प्राप्त हुएः-

1. सभी विद्यालयों में खाना-खाने का स्थल साफ-सूथरा पाया गया।
2. सभी विद्यालयों में मेन्यू चार्ट प्रदर्शित किया गया था।
3. बच्चों को मेन्यू के अनुसार दोपहर का गुणवत्तापूर्ण भोजन दिया जा रहा था।
4. सभी विद्यालयों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था थी।
5. विद्यालयों में किचन गार्डेन नहीं पाया गया।
6. विद्यालयों में बच्चों का हेल्थ कार्ड नहीं बनाया गया था।
7. विद्यालय के बच्चों को टोल फ्री नम्बर के जानकारी का अभाव पाया गया।
8. अग्निशामक यंत्र पाया गया, परन्तु वह वैद्य तिथि का नहीं पाया गया।

अक्षर आँचल योजना का पायलट सामाजिक अंकेक्षण

वित्तीय वर्ष 2022-23 में शिक्षा विभाग द्वारा संचालित अक्षर आँचल योजना का पायलट सामाजिक अंकेक्षण वैशाली जिला के महुआ प्रखंड के महुआ नगर पंचायत में कराया गया है।

पायलट सामाजिक अंकेक्षण में मुख्य रूप से निम्न तथ्य प्राप्त हुएः-

1. उत्थान केन्द्र पर पंजी उपलब्ध नहीं कराया गया।
2. उत्थान केन्द्र पर संचालन समिति/टोला समिति का गठन नहीं किया गया है।
3. उत्थान केन्द्र पर बच्चों/महिलाओं की उपस्थिति नामांकन के विरूद्ध कम पाया गया।
4. राशि की निकासी के उपरांत भी पठन-पाठन सामग्री का वितरण प्रशिक्षुओं को नहीं किया गया है।
5. शिक्षा सेवक उत्थान केन्द्र के अतिरिक्त विद्यालय कार्यों में भी संलग्न रहते है।
6. SRP/KRP के द्वारा समय-समय पर उत्थान केन्द्रों का निरीक्षण किया जाता है।
7. शिक्षा सेवक द्वारा संचालित किए जा रहे उत्थान केन्द्रों पर सत्यापन के क्रम में साक्षर पायी गयी।

शिक्षा विभाग के उक्त दोनों पायलट सामाजिक अंकेक्षण के उपरांत ग्राम सभा-सह-जन सुनवाई से प्राप्त तथ्यों/प्रतिवेदनों पर समुचित निर्णय/कार्रवाई हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग को अनुवर्ती कार्रवाई हेतु समर्पित किया गया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) का पायलट सामाजिक अंकेक्षण

वित्तीय वर्ष 2022-23 में नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) का पायलट सामाजिक अंकेक्षण, गया जिला के बोधगया प्रखंड के 19 वार्डो में कराया गया। पायलट सामाजिक अंकेक्षण जिला संसाधन सेवी द्वारा किया गया। संबंधित जिला के विशेष सामाजिक अंकेक्षण संसाधन सेवियों द्वारा सहयोग किया गया।सभी पक्रियाआंके बोधगया नगर पंचायत में कराया गया है।

पायलट सामाजिक अंकेक्षण में मुख्य रूप से निम्न तथ्य प्राप्त हुएः-

<u>मजबूत पक्ष</u>

- योग्य लाभुकों का चयन किया गया है।गठित शिकायत निवारण प्रणाली के कार्यरत पाया गया।
- नियमतः निपाटारा हेतु शिकायतों को वरीय पदाधिकारी को अग्रसरण किया जाता है।
- शिकायत निवारण प्रणाली अंतर्गत शिकायतों का निपटारा समय-सीमा के अंदर किया जाता है।

- योजनाओं का प्रचार-प्रसार कार्यक्षेत्र में किया जाता है।
- नगर निकाय कर्मी नियमतः क्षेत्र भ्रमण करते हैं। आवास निर्माण गतिविधि में समय, विनिर्देश, मापदण्ड का पालन किया गया है।

<u>कमजोर पक्ष</u>

- आवास निर्माण के अनुसार द्वितीय किस्त निर्गत करने में विलम्ब पाया गया।
- प्रथम किस्त के हस्तांतरण के उपरांत लम्बी अवधि तक निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं पाया गया। इस हेतु विभाग के द्वारा कोई नोटिस नहीं दिया गया।

- PMAY-U के अन्तर्गत निर्मित आवास का लोगो आवास के मुख्य द्वार पर नहीं पाया गया।
- आवास दिवस का आयोजन नहीं किया जाता है।
- मार्गदर्शिका के अनुरूप आवास के निर्माण में भूकम्परोधी एवं आपदारोधी का अभाव पाया गया।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) का पायलट सामाजिक अंकेक्षण के तैयार कर लिया गया है।